

2022/209

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सुरजपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2077 के खाता संख्या 168 में मेरा नाम देवकिशन पुत्र खेमराज का नाम दर्ज है जबकि मुताबिक संलग्न आध्यात्मिक जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम देवकिशन पुत्र खेमराज है। अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।
पुत्र खेमराज के बजाय देवकिशन पुत्र खेमराज करवाने की कृपा करें।
प्रार्थी

दिनांक:-

(प्रमोद कुमार)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम सुरजपुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2077 के खाता संख्या 168 में प्रार्थी का नाम देवकिशन पुत्र खेमराज दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न आध्यात्मिक जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम देवकिशन पुत्र खेमराज है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू0अ0नि0.....

प्रमोद कुमार
पटवारी...
पटवारी मण्डल
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी प्रमोद कुमार व भू0अ0नि0 दीपिका एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम सुरजपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2077 की खाता संख्या 168 में प्रार्थी का नाम देवकिशन पुत्र खेमराज के बजाय देवकिशन पुत्र खेमराज किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

दीपिका
तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा(भीलवाड़ा)

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम सुरजपुरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-77 खाता संख्या 168 में दर्ज प्रार्थी का नाम देवकिशन पुत्र खेमराज के स्थान पर देवकिशन पुत्र खेमराज संशोधन के आदेश दिये जाते है।



दीपिका
उपखण्ड अधिकारी
प्रमारी अधिकारी (भील0)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

132/22
1-6-22